



क.रा.बी.
नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE
CORPORATION**
(Ministry of Labour & Employment,
Govt. of India)



आदर्श चिकित्सालय एवं व्यावसायिक रोग केन्द्र

Model Hospital and ODC Indore

नंदानगर, इंदौर- 452011

Nanda Nagar, Indore - 452011

Email - ms-indore@esic.nic.in

Website: www.esic.nic.in,

www.esichospital.gov.in, www.esic.in

18/डि/14/17/सा./वॉल्यू-1/2016/आ.चि.

सार्वजनिक सूचना

आम जनता, रोगियों और उनके कानूनी प्रतिनिधियों और सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है की कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, इंदौर, मध्यप्रदेश RECORD RETENTION SCHEDULE के अन्तर्गत अपने पुराने चिकित्सा अभिलेख नष्ट करने जा रहा है।

मुख्यालय के परिपत्र, दिनांक 04/09/2023 संख्या No.D-14012/27/2023- के अनुपालन में पुराने चिकित्सा अभिलेखों को वर्ष 2003 में संशोधित, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PC & PNDDT) अधिनियम 1994 की धारा 29(1) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 09/05/2019 संख्या यू- 16/30/232/2013-Pro.I.Cell(SST)Maha/Wup में निर्धारित प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार नष्ट किए जाएंगे।

संख्या	रिकार्ड की किस्म	छटनी के लिए अनुमोदित दस्तावेज
1	MALE MEDICAL WARD 3 REGISTERS	AS PER RECORD RETENTION SCHEDULE conveyed vide Hqrs letter No. संख्या यू- 16/30/232/2013- Pro.I.Cell(SST)Maha/Wup
2	FEMALE WARD 4 REGISTERS	
3	MALE SURGICAL WARD 5 REGISTERS	
4	FEMALE SURGICAL WARD 6 REGISTERS	
5	EYE OT/WARD REGISTERS	
6	ICU REGISTERS	
7	MAIN OT REGISTERS	
8	ANESTHESIA MAIN OT REGISTERS	
9	CASUALTY REGISTERS	
10	PEDIATRICS REGISTERS	
11	GYNAE WARD REGISTERS	
12	NICU REGISTERS	
13	CASH BRANCH REGISTERS	
14	ECG REGISTERS	
15	ONCOLOGY REGISTERS	
16	CSSD REGISTERS	
17	RADIOLOGY/SONOGRAPHY REGISTERS	
18	DNS OFFICE REGISTERS	

यह सूचित किया जाता है की कोई व्यक्ति या उनके कानूनी प्रतिनिधि या अन्य प्राधिकारी यदि :-

- इन अभिलेखों में से किसी अभिलेख की प्रतिलिपि लेना चाहते हो
- इन अभिलेखों में दी गई किसी प्रकार की जानकारी की जरूरत हो
- इन अभिलेखों के आधार पर किसी दस्तावेज को जारी करने या उन्हें कोई परिवर्तन चाहते हो, या भविष्य में किसी ऐसे अधिकार/ अभिरुचि की संभावना हो तो वह इस सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर वांछित अभिलेखों के विवरण का उल्लेख करते हुए चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

यदि नोटिस प्रकाशन की तिथि के 15 दिनों के भीतर छटनी हेतु प्रस्तावित अभिलेखों/ दस्तावेजों के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाती है या कोई माँगपत्र नहीं दिया जाता है तो अस्पताल प्रशासन उक्त रिकार्ड का निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा छटनी की कारवाही कर दी जाएगी। सूचना के प्रकाशन से 15 दिनों के बाद किसी भी तरह के पत्राचार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक- 25/01/2023

स्थान- इंदौर।

Alm
25/1/2024

चिकित्सा अधीक्षक